मध्यप्रदेश के कृषकों की आय बढ़ाने के लिये
बांस पौधों के रोपण की योजना

योजना का स्वरूपः–

बांस कृषि योजना का उद्देश्य बांस का कृषि क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता के बांस पौधों का रोपण कर प्रदेश में बांस कृषि का विकास करना है। इस योजना से प्रदेश में बांस उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ ही बाजार में अच्छा मूल्य मिलने से कृषकों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध होगा तथा बांस आधारित स्थानीय शिल्पकारों को एवं बांस उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा।

राष्ट्रीय बांस मिशन, भारत सरकार की पुनरीक्षित गाईडलाईन के बिन्दु क्रमांक 10.2.4 के अनुसार कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रजाति के बांस रोपण हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों की निजी भूमि पर उच्च गुणवत्ता के बांस के वृक्षारोपण किया जाना है। इस योजना में कृषकों को बांस रोपण की कुल लागत का 50% राशि अनुदान के रूप में तीन वर्षों तक वितरण किया जावेगा। राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा बांस वृक्षारोपण हेतु प्रति पौधा रू. 240 की लागत अनुमानित की गई है जिसका 50 प्रतिशत (अर्थात 120 रू. प्रति पौधा) अनुदान के रूप में कृषकों को निम्नानुसार वितरित किया जायेगा–

    1. प्रथम वर्ष में रू. 60 प्रति पौधा (36 रू. एवं 24 रू. की दो किश्तों में रोपित पौधों के आधार पर)
    2. द्वितीय वर्ष में रू. 36 प्रति पौधा
    3. तृतीय वर्ष में रू. 24 प्रति पौधा

    पहले वर्ष रोपित सभी पौधों का अनुदान दे दिया जावे। द्वितीय वर्ष के अनुदान का वितरण 80% पौधों की जीवितता पर (मृत पौधा बदलाव सहित) तथा तृतीय वर्ष के अनुदान का वितरण 100% पौधो की जीवितता (मृत पौधा बदलाव सहित) सुनिश्चित करने पर प्रदाय किया जायेगा।

    उपरोक्तानुसार अनुदान की राशि का भुगतान स्थानीय वन अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कराने के उपरांत संतुष्ट होने पर किया जायेगा।

2. कृषक अपनी स्वयं की कृषि भूमि पर ब्लाक रोपण अथवा मेड़ों पर लाइन रोपण करने हेतु स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त कृषक को उसकी इच्छानुसार बांस की प्रजातियाँ लगाने हेतु स्वतंत्रता

30/05/20

होगी। कृषक द्वारा म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा एक्रीडिटेड रोपणियों अथवा भारत शासन के बायोटेक्नोलोजी विभाग से NCS-TCP प्रमाण–पत्र प्राप्त टिश्यु कल्चर प्रयोगशालाओं से प्राप्त गुणवत्तापूर्ण पौधों को ही क्रय कर लगाना आवश्यक होगा। कृषक बांस मिशन द्वारा मान्य किसी भी रोपणी अथवा टिश्यु कल्चर लैब से पौधे क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा। पौधे की क्रय दर पौधा विक्रेता द्वारा ही तय की जायेगी। पौधे क्रय का भुगतान कृषक द्वारा ही रोपणी/लैब को किया जायेगा।

उन्नत गुणवत्ता के बांस के पौधों तथा रोपण कार्य में उपयोग की जाने वाली समस्त आवश्यक सामग्री का क्रय व भुगतान स्वयं कृषक द्वारा ही किया जावेगा।

3. कृषक बांस पौधों के मध्य कृषि फसलों की अर्न्तवर्ती फसलें अपनी इच्छानुसार ले सकेगा।
4. इस योजना के अंतर्गत बांस उगाने हेतु वन विभाग के स्थानीय अमले के माध्यम से सुमचित प्रचार–प्रसार एवं सूचना पटल पर योजना की जानकारी प्रदर्शित कर किसानों को प्रोत्साहित किया जावेगा। कृषक द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में वनमण्डलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर बांस मिशन द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सीमा के अनुसार हितग्राही का चयन किया जावेगा। हितग्राही चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. बांस उगाने वाले प्रत्येक कृषक को सम्बन्धित परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा मिशन के वेब एप्लीकेशन (ebamboobazar.org) में Bamboo Grower के रूप में पंजीयन कर पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा। पंजीयन उपरांत उसकी वनपरिक्षेत्र अधिकारी द्वारा पुष्टि की जावेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कृषक को वान्छित प्रजाति के प्रमाणित पौधे प्राप्त हो। राष्ट्रीय बांस मिशन की गाईड लाईन्स के पृष्ठ 20 पर न्यूनतम रोपण 375 से 450 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाने का प्रावधान है। तद्नुसार पौधो का अन्तराल कृषक द्वारा स्वयं तय किया जा सकेगा।

30/05/20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य बांस मिशन, भोपाल

प्रपत्र

बांस रोपण हेतु आवेदन पत्र (योजना 7458)

1. कृषक का नाम – .....
2. पिता/पति का नाम – .....
3. मोबाईल नं., यदि हो तो – .....
4. ईमेल, यदि हो तो – .....
5. पूरा पता – .....
   .....
   .....
6. ग्रामीण/शहरी – .....
7. जिला – .....
8. तहसील – .....
9. विकासखण्ड – .....
10. पंचायत – .....
11. ग्राम – .....
12. वनवृत्त – .....
13. वनमंडल – .....
14. वनरेंज – .....
15. पटवारी हल्का नम्बर – .....
16. परिचय पत्र (आधार कार्ड नम्बर) – .....
17. खसरा क्रमांक – .....
18. बैंक खाते का विवरण – .....
19. बचत खाता क्रमांक – .....
20. बैंक का नाम – .....
21. आई.एफ.एस.सी. कोड – .....

(नाम एवं हस्ताक्षर)